CA'B Rules, 2010

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933

No. 176] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सा.का.नि. 279(अ).— न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2010 के नियमों का प्रारूप न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 द्वारा यथा अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 876(अ) तारीख 2 नवम्बर 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए बिल के उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीन मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व आलेख ओर सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 नवम्बर, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार से कोई आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 1949 उन बातों के सिवाय अधिक्रस्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

नियम

1. (I) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं -** इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-